

धन शोधन नविवारण अधिनियम

प्रलिमिन्स के लिये:

भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 FEOA, वदिशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी गतविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 COFEPOSA ।

मेन्स के लिये:

धन शोधन का मुद्दा, प्रवर्तन नदिशालय की शक्तियाँ, न्यायिक समीक्षा ।

चर्चा में क्यों:

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने [धन शोधन](#) के आरोप में [प्रवर्तन नदिशालय \(ED\)](#) द्वारा उसकी गरिफ्तारी को चुनौती देने वाले एक राजनेता की याचिका को खारजि कर दिया है ।

धन शोधन:

■ वषिय:

- मनी लॉन्ड्रिंग का अभिप्राय अवैध रूप से अर्जति आय को छपाना या बदलना है ताकि वह वैध स्रोतों से उत्पन्न प्रतीत हो । यह अक्सर मादक पदार्थों की तस्करी, डकैती या जबरन वसूली जैसे अन्य गंभीर अपराधों का एक घटक है ।
 - अवैध हथियारों की बिक्री, तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और वेश्यावृत्ति, गुप्त व्यापार, रश्वतखोरी और कंप्यूटर धोखाधड़ी जैसी आपराधिक गतविधियों में बड़ा मुनाफा होता है ।
- ऐसा करने से यह मनी लॉन्ड्रिंग में संलग्न व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से अपने अवैध लाभ को "वैध" करने के लिये एक प्रोत्साहन देता है ।
- इससे उत्पन्न धन को 'डर्टी मनी' कहा जाता है । मनी लॉन्ड्रिंग "डर्टी मनी" को 'वैध' धन के रूप में प्रकट करने के लिये रूपांतरण की प्रक्रिया है ।

■ चरण:

- प्लेसमेंट: यह मनी लॉन्ड्रिंग का पहला चरण है, इसके तहत अपराध से संबंधित धन का औपचारिक वित्तीय प्रणाली में प्रवेश कराया जाता है ।
- लेयरिंग: दूसरे चरण में मनी लॉन्ड्रिंग में प्रवेश कराए गए पैसे की 'लेयरिंग' की जाती है और उस पैसे के अवैध उद्गम स्रोत को छपाने के लिये विभिन्न लेन-देन प्रक्रियाओं में शामिल किया जाता है ।
- एकीकरण: तीसरे और अंतिम चरण में धन को वित्तीय प्रणाली में इस प्रकार से शामिल किया जाता है कि इसके अपराध के साथ मूल जुड़ाव को समाप्त कर धन को अपराधी द्वारा पुनः वैध तरीके से उपयोग किया जा सके ।

धन शोधन नविवारण अधिनियम (PMLA), 2002:

■ पृष्ठभूमि:

- धन शोधन के खतरे से निपटने के लिये भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता (वियना कन्वेंशन) के जवाब में PMLA अधिनियमि किय गया था । इसमें शामिल है:
 - [नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1988](#)
 - [सदिधांतों का बेसल वक्तव्य, 1989](#)
 - [मनी लॉन्ड्रिंग पर वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स की चालीस सफिरशिन, 1990](#)
 - वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई राजनीतिक घोषणा और वैश्विक कार्रवाई कार्यक्रम ।

■ परिचय:

- यह आपराधिक कानून है जो धन शोधन/मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्तिकी जब्ती का प्रावधान करने के लिये बनाया गया है ।

- यह मनी लॉन्ड्रिंग से नपिटने के लिये भारत द्वारा स्थापित कानूनी ढाँचे का मूल है।
- इस अधिनियम के प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों (RBI सहित), [म्यूचुअल फंड](#), [बीमा कंपनियों](#) और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर लागू होते हैं।

■ PMLA में हाल के संशोधन:

- **अपराध से अर्जति आय की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण:** अपराध से अर्जति आय (Proceeds of crime) में न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त संपत्ति शामिल है, बल्कि किसी भी आपराधिक गतिविधि से संबंधित या अनुसूचित अपराध के समान किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल होकर प्राप्त की गई कोई अन्य संपत्ति भी शामिल होगी।
- **मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा में परिवर्तन:** इससे पूर्व मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध नहीं था, बल्कि अन्य अपराध पर निर्भर था, जैसे वधिय अपराध या अनुसूचित अपराध (Predicate offence or Scheduled offence) के रूप में जाना जाता है।
- संशोधन ने मनी लॉन्ड्रिंग को स्वयं में विशिष्ट अपराध मानने का प्रयास किया है।
- PMLA की धारा 3 के तहत उस व्यक्ति पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया जाएगा यदि वह व्यक्ति किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध से अर्जति आय से संलग्न है।
 - आय छपाना
 - स्वामित्व
 - अधिग्रहण
 - बेदाग संपत्ति के रूप में उपयोग करना या पेश करना
 - बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना

- **अपराध की नरितर प्रकृति:** इस संशोधन में आगे उल्लेख किया गया है कि उस व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में उस स्तर तक शामिल माना जाएगा जहाँ तक उस व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित गतिविधियों का फल मिला रहा है क्योंकि यह अपराध नरितर प्रकृति का है।

प्रवर्तन नदिशालय:

■ इतहास:

- प्रवर्तन नदिशालय या ED एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है जो आर्थिक अपराधों की जाँच और वदिशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के लिये अनविर्य है।
- इस नदिशालय की स्थापना 1 मई, 1956 को हुई, जब वदिशी मुद्रा वनियमन अधिनियम, 1947 (फेरा '47) के तहत वनियम नयित्रण कानून के उल्लंघन से नपिटने के लिये आर्थिक मामलों के वभिग में एक 'प्रवर्तन इकाई' का गठन किया गया।

- **आर्थिक उदारीकरण** की प्रकर्या की शुरुआत के साथ, **FERA '1973** (जो एक नयामक कानून था) नरिसूत कर दिया गया और इसके स्थान पर एक नया कानून-**वदिशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA)** लागू किया गया।

- हाल ही में वदिशों में शरण लेने वाले आर्थिक अपराधियों से संबंधित मामलों की संख्या में वृद्धि के साथ सरकार **नेभगोडा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA)** पारित किया है और ED को इसे लागू करने का कार्य सौंपा गया है।

■ कार्य:

- **मनी लॉन्ड्रिंग नरिोधक अधिनियम, 2002 (PMLA):**
 - इसके तहत धन शोधन के अपराधों की जाँच करना, संपत्ति की कुरकी और जब्ती की कार्रवाई करना और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाना शामिल है।
- **वदिशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA):**
 - इसके तहत फेमा के उल्लंघन के दोषियों की जाँच की जाती है और दोषियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
- **भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA):**
 - इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति पर कब्जा करना है जो भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर कानून की प्रकर्या से बचने के उपाय खोजते हैं। ऐसी संपत्ति को केंद्र सरकार को सौंपा जाता है।
- **COFEPOSA के तहत प्रायोजक एजेंसी:**
 - FEMA के उल्लंघन के संबंध में वदिशी मुद्रा और संरक्षण गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (COFEPOSA) के तहत नविरक नरिोध के प्रायोजक मामले देखना।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)